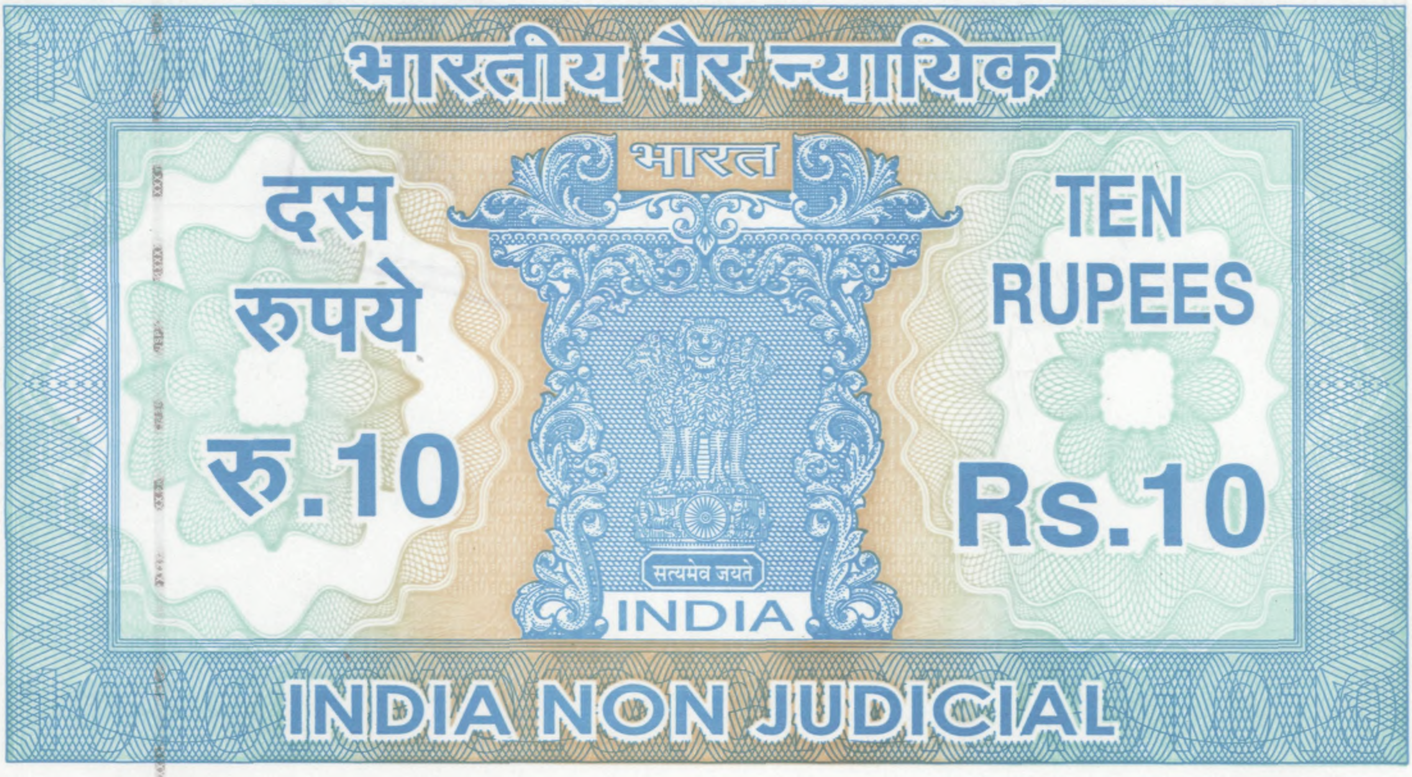

हरियाणा HARYANA 02AA 108994

<u>ब्यान हल्फिया तथा वचन पत्र</u>

मै आनन्द कुमार पुत्र श्री गंगा प्रसाद उम्र 34 निवासी गांव मुखड़ा, डा0–मुर्रा, जिला–फरूखाबाद (यू0पी0) अपने हल्फ से शपथपूर्वक ब्यान तथा वचन देता हूं :–

1. यह कि मै फैशन एक्सप्रैस प्लाट नम्बर 100 फेस–1, उद्योग विहार, गुडगांव में कार्यरत श्रमिक हूं और श्रमिकों के संगठन फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन रजि0 नम्बर 1825 का सर्व सम्मति से निर्वाचित प्रधान हूं।

2. यह कि मुझे मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस के प्रबन्धकों ने दिनांक 24 $^{11}/_{06}$ के आदेश द्वारा गैर कानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया है। मेरे साथ तीन अन्य श्रमिकों सर्व श्री सतबीर सिंह, श्याम दत्त, बाबू लाल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है।

3. यह कि उपरोकत मामले में तथा यूनियन के अन्य मामलों को लेकर संस्थान के श्रमिकों तथा यूनियन के सदस्यों की आम सभा दिनांक 28.11.06 को शनि मन्दिर के प्रांगन में सम्पन्न की गई थी। जिसमें एटक हरियाणा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री भीमसैन प्रभाकर, दिनेश कुमार वर्मा, एटवोकेट, बलबीर कम्बोज तथा क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट यूनियन के प्रधान रमेश भडाना सहित कई पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था।

10722

Anand Das
S/o Ganga Sahai
A/

AMIT KUMAR
STAMP VENDOR
Court, Gurgaon
20 DEC 2006
Sign

4. यह कि उपरोक्त मिटिंग के दौरान मेरे सहित नौकरी से निकाले गए चारो श्रमिकों ने सभी श्रमिकों व उपरोक्त व्यक्तियों के सम्मुख यह ब्यान दिया था और यह शपथ ली थी कि चारों नौकरी से निकाले हुए श्रमिक किसी भी सूरत में प्रबन्धकों से आपसी समझौता नही करेगें और हिसाब किताब लेने की कोई बात नही करेगें तथा प्रबन्धकों के गैर कानूनी कृत्य के विरूद्व संधर्ष करेगें। इस मिटिंग में उपस्थित सभी यूनियन सदस्यों ने संधर्ष में तन, मन, धन से पूरा सहयोग देने का वचन दिया था।

5. यह कि मै निजी तौर पर भी वचन देता हूं कि मै प्रबन्धकों से किसी प्रकार की काई आपसी बातचीत नही करूंगा और हिसाब किताब नही लुंगा। अर्थात नौकरी बहाली व अन्य मामलों में संधर्ष के रास्ते को ही अपनाउंगा।

6. यह कि मैने अपने नौकरी बहाली के मामले के लिए श्री भीमसैन प्रभाकर, श्री सुरेश गौड, श्री बलबीर काजल एटक प्रतिनिधियों तथा श्री दिनेश कुमार वर्मा एडवोकेट को अधिकृत किया हुआ है। जो कि हमारी यूनियन के अन्य मामले भी देख रहे है।

7. यह कि यदि मैने उपरोक्त दिये गए शपथ पत्र तथा वचन पत्र को तोडा या उल्लधंन किया और यदि प्रबन्धकों से नौकरी बहाली के मामले में सीधे तौर पर कोई आपसी समझौता किया और चूकता हिसाब लिया तो उस सूरत में मै बतौर फीस और हर्जाना 22,000/– रूपयें (बाइस हजार) रूपयें की राशि जिला एटक कमेटी को सुरेश गौड प्रधान के माध्यम से अदा करने का वचन देता हूं।

OATH COMMISSIONER GURGAON

स्थान : गुड़गॉवा
दिनांक : 20.12.2006

ब्यानकर्ता

22/12/2006

<u>सत्यापन</u>

मैं आनन्द कुमार उपरोक्त ब्यानकर्ता सत्यापित करता हूँ कि मेरे उपरोक्त ब्यान हल्फिया पेज 1–7 में जो भी लिखा गया है यह सब बाते पूरी सूझ बूझ से सही तथा दुरूस्त लिखी है। कोई भी बात ना तो गलत है और ना ही छुपाई गई है।

स्थान : गुड़गॉवा
दिनांक : 20.12.2006

ATTESTED
22/12/06
Oath Commissioner
GURGAON

शपथकर्ता

22/12/2006